न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03/11/25 पत्रावली पेश वकु. उप.। वास्ते जवाब 5 लगा. 8, 10 लगा. 12 15 लगा. 23, 25 लगा. 27 की तामील हेतु अखबार सादा हेतु दि. 07/11/25 को पेश हो। SDO 07/11/25 पत्रावली पेश। वकीलवादी व स्वयं वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई किन्तु वकीलवादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अत: पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद पूर्ति जमा हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

मुकेश बनाम रामलाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/35/2024

06.02.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 162 आराजी खसरा 875/0.33, 879/0.35, 880/0.11, 940/0.24, 944/0.12, 945/0.05, 946/0.22, 947/0.10, 949/0.15, 950/0.11, 956/0.40, 957/0.05, 958/0.21, 995/0.15, खाता संख्या 163 खसरा संख्या 991/0.28, खाता संख्या 164 खसरा संख्या 869/0.15, खाता संख्या 165 खसरा संख्या 874/0.13, 994/0.21, 999/0.19, खाता संख्या 166 खसरा संख्या 881/0.24, 948/0.02, 951/0.25 खाता संख्या 167 खसरा संख्या 868/0.10, खाता संख्या 305 खसरा संख्या 961/0.37, खाता संख्या 307 खसरा संख्या 882/0.07 वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को रहन बय आदि किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिल का दस्तावेज पंजीबद्व न करें न करावें ना ही प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करें ना ही प्रार्थीगण को उक्त आराजी में उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें ना ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें। अन्त में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी *खाता संख्या 162 आराजी खसरा 875/0.33, 879/0.35, 880/0.11, 940/0.24, 944/0.12, 945/0.05, 946/0.22, 947/0.10, 949/0.15, 950/0.11, 956/0.40, 957/0.05, 958/0.21, 995/0.15, खाता संख्या 163 खसरा*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07/11/25 पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली के प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	